

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी /
वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी,
जोशीमठ, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़।

देहरादून दिनांक 14 मार्च, 2017।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में वन विभाग के अनुदान संख्या-27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनिधानित योजना "4406-02-110-01-01-नन्दादेवी बायोस्फेयर रिजर्व की स्थापना" के अन्तर्गत साख-सीमा मदों में बजट/साख-सीमा का आवंटन।

संदर्भ :- शासनादेश सं0 394/X-2-2017-12(67)/2006 दिनांक 03 मार्च, 2017 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न अलॉटमेंट आई डी-S1703270016 दिनांक 02.03.2017 से वित्तीय वर्ष 2016-17 में वन विभाग के अनुदान संख्या-27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनिधानित योजना "4406-02-110-01-01-नन्दादेवी बायोस्फेयर रिजर्व की स्थापना" के अन्तर्गत साख-सीमा मदों में अवमुक्त धनराशि ₹ 7,31,000/- (₹ सात लाख इक्कीस हजार मात्र) का ऑन लाइन आवंटन विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जारी करते हुये प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है।

1- उपरोक्त आवंटित धनराशि में प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-1433/3-6 (नन्दादेवी बायोस्फेयर) दिनांक 25.11.2016 के योजनान्तर्गत कार्ययोजनावार/मानकमदवार वांछित धनराशि के विवरण में उल्लिखित फ्लैक्सी फण्ड की धनराशि ₹ 14.31 लाख भी सम्मिलित है, जो भारत सरकार के पत्र संख्या-55(5)/PF.II2011 दिनांक 06.01.2014 में दिये गये निर्देशों के अनुसार व्यय की जायेगी।

2- उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 01.06.2016 के द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार वर्णित कार्यमदों में ही पत्र में उल्लिखित दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3-अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जिन हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध है, यदि योजना से इतर कार्य को कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।

4-कार्यो को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।

5-धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 847/XXVII(1)/2013 दिनांक 26.07.2016 में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।

6-अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), शासनादेश संख्या 177/XXXVII(7)/2008 दिनांक 01 मई 2008, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमैट) नियमावली 2008, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमैट) (संशोधन) नियमावली 2015, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सु-संगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित/अनुमोदित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार, महालेखार एवं शासन को दिनांक 31.03.2017 अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8- आवंटित/जारी धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.-4 में कार्यालयवार भरकर बिलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)

वित्त नियंत्रक


संख्या: नि० 1731 (1)/3-6 (एन०डी०बी०आर०) तददिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,सहारनपुर रोड,माजरा,देहरादून।
- 2- महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
- 3- अपर सचिव,वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 एवं अपर सचिव,वित्त (अनुभाग-4),उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 5- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून। कृपया अपने स्तर से सभी सम्बन्धितों को उन्हें आवंटित लक्ष्यों से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 7- मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, नैनीताल।
- 8- निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फेयर रिजर्व, गोपेश्वर चमोली।
- 9- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोडा।
- 10-समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी, वन विभाग उत्तराखण्ड। कृपया उक्त पैरा-1 से 8 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भारत सरकार के पत्रांक F.No-9/01/2012-11-CS/BR दिनांक 01.06.2016 द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना एवं तदक्रम में प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उक्त अवमुक्त धनराशि का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- 11- उप वन संरक्षक, आइ०टी०सैल कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटित/जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार




(जीवन चन्द्र जोशी) 17/3/15
वित्त नियंत्रक

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1731/3-6

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - C1703270289

आवंटन पत्र दिनांक -14-Mar-2017

CCL Division Name - Divisional Forest Officer Forest Division, Bageshwar (3036) , Treasury - Bageshwar

लेखा शीर्षक 4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंज 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन
 110 - वन्य जीवन परिरक्षण
 01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ
 01 - नन्दा देवी बायोस्फेयर रिजर्व की स्थापना

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत् निर्माण कार्य	0	87000	87000
	0	87000	87000

Current Allotment To Above Division -

87000

Total Allotment To Above Treasury in Division -

87000

Project Wise Budget Allotment Detail

क्रम	प्रोजेक्ट का नाम	ऑब्जेक्ट कोड	लेखा शीर्षक	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
1	नन्दा देवी बायोस्फेयर रिजर्व की स्थापना - 890030360002833	24 वृहत् निर्माण कार्य	4406021100101	0	87000	87000
Total -				0	87000	87000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1731/3-6

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - C1703270290

आवंटन पत्र दिनांक -14-Mar-2017

CCL Division Name - Divisional Forest Officer Forest Division, Pithoragrah (3253) , Treasury - Pithoragarh

लेखा शीर्षक 4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंज 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन
 110 - वन्य जीवन परिरक्षण
 01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ
 01 - नन्दा देवी बायोस्फेयर रिजर्व की स्थापना

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत् निर्माण कार्य	0	131000	131000
	0	131000	131000

Current Allotment To Above Division - 131000

Total Allotment To Above Treasury in Division - 131000

Project Wise Budget Allotment Detail

क्रम	प्रोजेक्ट का नाम	ऑब्जेक्ट कोड	लेखा शीर्षक	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
1	नन्दा देवी बायोस्फेयर रिजर्व की स्थापना - 380032530002834	24 वृहत् निर्माण कार्य	4406021100101	0	131000	131000
Total -				0	131000	131000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1731/3-6

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - C1703270288

आवंटन पत्र दिनांक -14-Mar-2017

CCL Division Name - Divisional Forest Officer Nanda Devi Forest Division, Joshimath (3133) , Treasury - J

लेखा शीर्षक 4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंज 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन
 110 - वन्य जीवन परिरक्षण
 01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ
 01 - नन्दा देवी बायोस्फेयर रिजर्व की स्थापना

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत् निर्माण कार्य	0	513000	513000
	0	513000	513000

Current Allotment To Above Division -

513000

Total Allotment To Above Treasury in Division -

513000

Project Wise Budget Allotment Detail

क्रम	प्रोजेक्ट का नाम	ऑब्जेक्ट कोड	लेखा शीर्षक	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
1	नन्दा देवी बायोस्फेयर रिजर्व की स्थापना - 400231330002832	24 वृहत् निर्माण कार्य	4406021100101	0	513000	513000
Total -				0	513000	513000